

उप प्रबंधक (सुरक्षा प्रभारी)
पावरग्रिड कांफ़रिशन आंफ़ इंडिया
चकरपुर कानपुर उ. प्र.

विषय:- गनमैन सुरक्षा गार्ड एवं संविदा कर्मचारियों के विषय में -

प्रति,

सादर विनम्र अनुरोध है कि आर.बी.सिंह (एडवोकेट) माती अकबरपुर कानपुर देहात का निवासी मैं भारत सरकार द्वारा बने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा- 6 के तहत निम्न जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ।

1. गनमैन व सुरक्षा गार्ड की अधिकतम उम्र क्या है। यदि 60 वर्ष से अधिक उम्र के सुरक्षा कर्मचारी की इयुटी के दौरान मृत्यु, हादसा होता है तो ग्रिड व सुरक्षा एजेंसी किसकी जिम्मेदारी है।
2. सुरक्षा गार्ड व गनमैन की शारीरिक कुशलता का क्या मापदण्ड व कम से कम व 60 वर्ष से अधिक रखने का प्रावधान है। हमें 60 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक की नाम बतानेका कष्ट करे।
3. संविदा कर्मों, ठेकेदार के सफाई, माली, विद्युत लाईन मैन की शारीरिक मापदण्ड क्या है। तथा अपंग व 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले का भी विवरण दे।
4. जनसूचना अधिकार की सूचना की फीस के तौर पे 10 रुपये का पोस्टल आर्डर संख्या 56F 915389 संलग्न है।
5. मैं आर. बी. (एडवोकेट) ग्रिड की गोपनीयता व किसी प्रकार के कार्य में व्यवधान नहीं करना चाहते हैं। संविदा कर्मियों के विषय में आयु व शारीरिक दक्षता, शारीरिक विकलांगता का विवरण व जबाबदेही किसकी है। जानकारी देने का कष्ट करे।

नांक 08/09/2022



आपका

आर.बी. सिंह (एडवोकेट)
कमरा नं. 28 के सामने
कोर्ट कम्पाउण्ड माती

कानपुर (दे.)

Copy to: Sr. DGM (HR) - with a request to provide information as per RTI Act, 2005.